...हो।

| | |
|---|---|
| 31-12-18 | वकील वादी उप० / P.O. साहब द्वारा आयोजित परीक्षा के व्यस्त है। दिनांक 26-12-18 को पेश हो। |
| 26-12-18 | पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। चुनाव कार्य<br>उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 1-1-19 को पेश हो।<br>रीडर |
| 1-1-19 | वकील वादी उप० / बहस को मौका चाहते है। दि० 14-1-19 को पेश हो। |
| 14-1-19 | वकील वादी उप० / बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दि० 21-1-19 को पेश हो। |
| 21-1-19 | पत्रावली पेश हुई। आज बार द्वारा कार्य स्थगन है। वास्ते आदेश दि० 22-1-19 को पेश हो। |
| 22-1-19 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। दावा वादी सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखित किया गया। पत्रावली जैसल तुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। |

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास {अलवर}

अध्यासित द्वारा :- श्री महेन्द्रसिंह यादव आर.ए.एस.

| दावा संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय तिथि |
|---|---|---|
| 149 | 18-12-15 | 21-1-19 |

उनवान

1- सन्दीपसिंह पुत्र राजूसिंह पौत्र स्व. सतनामसिंह

2-अभिषेक सिंह पुत्र राजूसिंह पौत्र स्व. सतनामसिंह
नाबालिगान जरिये सरपरस्त माता कौशल्या कौर पत्नि
राजूसिंह रायसिख निवासीयान ग्राम दादर तहसील व
जिला अलवर

:- वादीगण

बनाम

1-राजूसिंह पुत्र स्व. सतनामसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम
सिकन्दरपुर तहसील व जिला सिरसा - हरियाणा

2-नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. सतनामसिंह जाति रायसिख निवासी
सादुलगढ़ तहसील सादूलगढ़ जिला सादूलगढ़ {पंजाब}

3- जगीरसिंह पुत्र स्व. श्री सतनामसिंह जाति रायसिख निवासी
सिकन्दरपुर तहसील व जिला सिरसा हरियाणा

4-कौशलयाबाई पुत्री स्व. सतनामसिंह जाति रायसिंख पत्नि
दलीपसिंह निवासी ग्राम झण्डा तहसील सादुलगढ़ जिला
सादूलगढ़ {पंजाब}

5-प्रेमकौर पुत्री स्वयं सतनामसिंह पत्नि मग्गासिंह निवासी हांसपुर
तहसील व जिला फतेहबाद- हरियाणा

6-गोगी पुत्री श्री सतनामसिंह पत्नि रामकिशन निवासी मोरीआला
तहसील फाजिल्का जिला फाजिल्का {पंजाब}

7-उप पंजियक किशनगढ़-बास :- असल प्रतिवादीगण

8-उत्तमसिंह

कलैक्टर
स (अलवर)

9-हुकमसिंह

10-रामसिंह पुत्रान हरदत्तसिंह

11-मंगलसिंह

12- श्रृंगारसिंह

13- राजसिंह पुत्रान हुकमीबाई

14- रामसिंह

15- जसवंतसिंह पुत्रान रणजीतसिंह



Scanned by CamScanner

16- सुरजीतसिंह पुत्र पूरणसिंह

17- वीरसिंह

18- जगीरसिंह

19- सूरजसिंह पुत्रान जरनैलसिंह

20- अतरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह

21- हरदेवसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह निवासी बीड, हिसार{टण्डूर ब्लॉक} हिसार

22- परमेश्वर कौर पत्नि सुच्चासिंह रायसिख निवासी 10/244 झंगोला, दिल्ली

23- शान्तीलाल पुत्र राधाकिशन महाजन

24- रमेश पुत्र राधाकिशन महाजन

25- शांतिदेवी पुत्री राधाकिशन महाजन

26- पुष्पादेवी पुत्री राधाकिशन महाजन

27- कलावती पुत्री राधाकिशन महाजन

28- उषा पुत्री राधाकिशन महाजन

29- सब्बोबाई बेवा आशासिंह निवासीयान ग्राम बसई जोगियान तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :- तर. प्रतिवादीगण

30- राज. सरकार जर्ये लैण्ड हो ल्डर तहसीलदार कि. बास

:- तकमीली प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :-1- श्री साहिद खान वकील वादीगण की ओर से ।

2- प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही ।

::निर्णय::

पत्रावली पेश हुई। दावे के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:- वादीगण ने वाद पेश किया कि आ. ख. नं. हाल 268/0.34, 315/0.35, 309/0.14, 310/0.08, 311/0.08, 313/363/0.22 किता 3 रकबा 0.38 320/0.43, का 1/5 हिस्सा, 313/0.33, 331/0.16, किता 2 रकबा 0.49 241/0.06, 243/0.08, 285/0.14, 286/0.09, 287/0.08, 312/0.13, 316/0.05, 323/0.03, 334/0.06 किता 9 रकबा 0.72, 332/0.20 कब 262/0.05 वाके ग्राम बसई बालन तहसील किशनगढ़-बास के 1/5 भाग व कुछ सम्पूर्ण वादीगण के दादा स्व. श्री सतनामसिंह पुत्र हरदत्तसिंह रायसिख के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसमें कुछ आराजी गैरखातेदारी में व कुछ खातेदारी में दर्ज है।

वादी के दादा श्री सतनामसिंह का स्वर्गवास हाल ही में लगभग

--3--

(margin:) रैक्टर अलवर)

दस माह पूर्व हुआ है, जिनकी विरासत अभी तक नहीं खुली है। असल प्रति. नं. 1लगा. 6 स्व. सतनामसिंह की संतान है तथा प्रतिवादी सं. 1 के हम वादीगण सन्तान हैं। स्व. सतनामसिंह का सजरा परिवार वाद में दर्ज है। विवादित आराजी वादीगण के दादालाई की है वादीगण के दादा के नाम ही दर्ज रिकार्ड है तथा उनकी विरासत अभी तक नहीं खुली है। आराजी का कोई विधिक बंटवारा नहीं हुवा है केवल काश्त की सहुलियत से ही मौके पर बंटी हुई है तथा वादी व प्रतिवादीगण शामलात में काबिज है।

वादी के दादा सतनामसिंह के कुल 6 संतान है प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है। प्रतिवादी नं. 1 के 1/6 हिस्से में से वादीगण का 2/3 हिस्सा है जो वादीगण को अपने दादा के स्वर्गवास के पश्चात् विधिरूप से वादीगण को विरासत में मिला है। जिससे वादीगण को वंचित करने का कोई विधिक अधिकार प्रतिवादीगण को नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ने हमवादीगण व हमारी माता को बेजा परित्याग किया हुआ है। प्रतिवादीगण आपस में साजबाज होकर वादीगण 1 के हिस्से को मारने की नियत से सतनामसिंह के सालिम हिस्से को दीगर लोगों को मुन्तकिल करने पर उतारू है जिन्हें इसका कोई कानूनी हक हासिल नहीं है।

समस्त प्रतिवादीगण पंजाब व हरियाणा में रहते हैं जो सतनामसिंह की विरासत अपने नाम दर्ज करवाकर आराजी को मुन्तकिल करने की फिराक में है तथा वादीगण को उनके हिस्से से वंचित करने की फिराक में हैं। इसलिए ही दावा पेश करना लाजिम आया है।

अत: निवेदन है कि दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे। :-

§1§ डिक्रीबाबत इश्तकरारहक सादिर की जाकर वादीगण को विवादित आ. ख. नं. 268/0.34, 315/0.35, 320/0.43, 313/0.33, 331/0.16, 241/0.06 243/0.08, 285 / 0.14, 286/0.09, 287/0.08, 312/0.13, 316/0.05, 323/0.03, 334/0 .06, 332/0.20, 262/0.05 का 1/5हिस्सा व ख. नं. 309/0.14 का 2/5 हिस्सा व ख. नं. 310/0.08, 311/0.08, 313/363/0.22 सालिम वाके ग्राम बसईबालन तहसील किशनगढ़-बास में प्रतिवादी सं. 1 के बननेवाले 1/6हिस्स में से वादीगण को 2/3हिस्सा का मुश्तर्का में काबिज काश्तकार घोषित किया जावे।

कलैक्टर
(अलवर)

§2§ डिक्री बाबत तकसीम सादिर की जाकर विवादित आराजी उक्त, जो कि वादीगण के दादा स्व. श्री सतनामसिंह पुत्र हरदत्तसिंह रायसिख के नाम दर्ज रिकार्ड है, में से प्रतिवादी सं. 1 के 1/6 हिस्से में से वादीगण का 2/3 हिस्सा तकसीम कराया जाकर पृथक से खाता व लगान कायम किया जाकर



Scanned by CamScanner

कागजातमाल में इसी अनुसार अमल दरामद कराया जावे।

§3§ डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा सादिर की जाकर प्रतिवादी सं. 1 लगा. 6 को पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी को किसी भी प्रकार से रहन बय नहीं करें मौका व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

§4§ खर्चा वाद वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

§5§ दीगर दादरसी बहक वादीगण पारित की जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

वादीगण की ओर से साक्ष्य में कौशल्या कौर पी.डब्लु 1, करनैलसिंह पुत्र कश्मीरसिंह पी.डब्लु 2, गुरूदयालसिंह पुत्र दलीपसिंह पी.डब्लु 3 के शपथपत्र पेश किये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सं. 2071-74 प्रदर्श 1 पेश की है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विवादित आराजी में वादीगण का विधिरूप से हिस्सा है आराजी वादीगण के दादा की खातेदारी में दर्ज है वादीगण का दादा फौत हो गया है विरासत अभी दर्ज नहीं हुई है प्रतिवादीगण बाला बाला विरासत दर्ज कराकर वादीगण के हिस्से की आराजी का बेचान करना चाहते हैं। वाद वादीगण डिक्री किया जाकर प्रति. नं. 1 के 1/6 हिस्से में से वादीगण को 2/3 भाग का खातेदार घोषित किया जाकर आराजी का तकासमा कराया जावे तथा प्रतिवादीगण असल को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा यह वाद दिनांक 18-12-16 पेश किया जिसमें अंकित किया गया कि वादीगण के दादा श्री सतनामसिंह का स्वर्गवास लगभग दस माह पूर्व हुआ है, जिनकी विरासत अभि तक दर्ज नहीं हुई है। वादीगण द्वारा अपने अभिकथन की पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य मृत्यु प्रमाण पत्र आदि भी पेश नहीं किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदर्श 1 के अनुसार आराजी विवादित सतनामसिंह पुत्र हरदत्तसिंह के नाम दर्ज है। मृत्यु प्रमाण पत्र के अभाव में यह सिद्ध नहीं होता कि सतनाम सिंह की मृत्यु होगई हो। और यदि मृत्यु हो भी गई है तो सर्व प्रथम उसकी विरासत विधिक वारिसान के नाम दर्ज होनी चाहिये थी। लगभग तीन वर्ष के अन्तराम में भी मृतक सतनामसिंह की विरासत दर्ज ना होना

--4--

कलैक्टर
(अलवर)

सन

Scanned by CamScanner

सन्देहास्पद है। इस प्रकार वादीगण का वाद दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव सिद्ध नहीं होता है। वाद वादीगण काबिल खारिज है।

अतः आदेश है कि :-

वाद वादीगण बाबत आ० ख० नं० 268/0.34, 315/0.35, 309/0.14, 310/0.08, 311/0.08, 313/368/0.22, 320/0.43, 313/0.33, 331/0.16, 241/0.06, 243/0.08, 285/0.14, 286/0.09, 287/0.08, 312/0.13, 316/0.05 323/0.03, 334/0.06, 332/0.20, 262/0.05 वाके ग्राम बसई बालन तहसील किशनगढ़-बास सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेंगें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री महेन्द्रसिंह यादव आर.ए.एस. किशनगढबास

| | प्रवेश तिथि | निर्णय |
|---|---|---|
| ा नं. | 18.12.15 | 21.1.19 |

उनवान

सन्दीपसिंह पुत्र राजूसिंह पौत्र स्व0सतनाम सिंह
अभिषेक सिंह पुत्र राजूसिंह पौत्र स्व0सतनाम सिंह नाबालिगान जरिये सरपरस्त माता
कौशल्या कौर पत्नि राजूसिंह रायसिख निवासीयान ग्राम दादर तहसील व जिला
अलवर

:–वादीगण:–

बनाम

राजूदीन पुत्र स्व0सतनामसिंह जाति रायसिंख निवासी ग्राम सिकन्दरपुर तहसील व जिला तिजारा सिरसा– हरियाणा।
नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 सतनामसिंह जाति रायसिख निवासी सांदुलगढ(पंजाब)
जागीरसिंह पुत्र स्व0 सतनामसिंह जाति रायसिख निवासी सिकन्दरपुर तहसील व जिला सिरसा हरियाणा
कौशल्या बाई पुत्री स्व0 सतनामसिंह जाति रायसिख पत्नि दलीपसिंह निवासी ग्राम झण्डा तहसील सादुलगढ(पंजाब)
प्रेमकौर पुत्री स्वयं सतनामसिंह पत्नि मग्गासिंह निवासी हांसपुर तहसील व जिला फतेहबाद – हरियाणा
गोगी पुत्री श्री सतनाम सिंह पत्नि रामकिशन निवासी मोरीआला तहसील फाजिल्का जिला फाजिका (पंजाब)

:–असल प्रतिवादीगण:–

उप पंजियक किशनगढवास
उत्तमसिंह
हुकमसिंह
0. रामसिंह पुत्रान हरदत्तसिंह
1. मंगलसिंह
2. श्रृंगारसिंह
3. राजसिंह पुत्रान हकमीबाई
4. रामसिंह
5. जसवंतसिंह पुत्रान रणजीतसिंह
6. सुरजीतसिंह पुत्र पूरणसिंह
7. वीरसिंह
8. जंगीरसिंह
9. सूरजसिंह पुत्रान जरनैलसिंह
20. अतरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
21. हरदेवसिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह निवासी बीड, हिसार (टुण्डर ब्लॉक) हिसार

Scanned by CamScanner

2. परमेश्वर कौर पत्नि मुच्चासिंह रायसिंघ निवासी 10/244झंगोला, दिल्ली
3. शान्तीलाल पुत्र राधाकिशन महाजन
4. रमेश पुत्र राधाकिशन
5. शांतिदेवी पुत्री राधाकिशन महाजन
6. पुष्पादेवी पुत्री राधाकिशन महाजन
7. कलावती पुत्री राधाकिशन महाजन
8. उषा पुत्री राधाकिशन महाजन
9. सब्बाबाई बेवा आशासिंह निवासीयान ग्राम बसई जोगियान तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

:—तरप्रतिवादीगण:—

0. राज.सरकार जर्ये लैण्डहोल्डर तहसीलदार किशनगढबास

:— तकमील प्रतिवादी:—

**दावा अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर.टी.एक्ट.**

**उपस्थिति:—** 1.श्री साहिद खान वकील प्रतिवादीगण की ओर से।
2.प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही ।

**पर्चा डिक्री**

ाद वादी बाबत आ0ख0न0 268/0.34,315/0.35,309/0.14, 310/0.08, 311/0.08, /368/0.22,320/0.43, 313/0.33, 331/0.16, 241/0.06, 243/0.08, 285/0.14 /0.09, 287/0.08,312/0.13,316/0.05, 323/0.03, 334/0.06, 332/0.20, 262/0.5 ग्राम बसई बालन तहसील किशनगढबास सिद्व नही होने से खारिज किया जाता है। वाद वादीगण स्वयं वहन करेगें।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned by CamScanner